



शीर्ष प्रबंधन द्वारा बीते साल की उपलब्धियों की समीक्षा

शीर्ष प्रबंधन दल ने बीते साल की उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए 03 दिसंबर 2008 को एक बैठक आयोजित की. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों ने इस बैठक को संबोधित किया और वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का जायजा लिया. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने आगामी वर्षों के लिए बैंक के नए एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की. यहाँ उनके वक्तव्यों का सारांश दिया जा रहा है.

अध्यक्ष का संबोधन

साथियों

इस महान संस्था में मेरा एक वर्ष पूरा हो गया और अब मैं यहाँ पूरी तरह से अपने घर जैसा महसूस कर रहा हूँ. मेरे लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहा. आप के सहयोग, कठिन परिश्रम, समय से सूचनाएँ प्रदान करने और आपके समर्थन से ही यह संभव हो सका है. इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ.

इस समय हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं. पिछले कई वर्षों से विश्व की तेजी से बढ़ रही र्थव्यवस्थाओं में से भारत एक रहा है, यद्यपि वर्तमान आर्थिक वृद्धि को वैश्विक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है. ग्रामीण भारत में जन्म लेने के कारण ही नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी के रूप में मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि, सिर्फ ग्रामीण विकास के माध्यम से ही ग्रामीण जनसंख्या की क्रय शक्ति को बढ़ा कर इस देश को अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है. उद्योग और सेवा क्षेत्र को मिलाकर देश के सकल घरेलू उत्पादन की संयुक्त वृद्धि दर भी 80% तक तभी कायम रह सकती है जब हम ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति में वृद्धि जारी रखें. ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना और ग्रामीण भारत से गरीबी को पूरी तरह खत्म करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है. आपको स्मरण होगा कि एक बार प्रो. मोहम्मद युनुस ने कहा था कि "मैं चाहता हूँ कि "गरीबी

क्या चीज होती है“ इसे जानने के लिए हमारी अगली पीढ़ी को म्यूजियम में जाना पड़े : क्योंकि इस दुनिया में गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी. कोई इसे काल्पनिक विचार मान सकता है. किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यदि हम इसे एक मिशन के रूप में लें और ग्रामीण जनसंख्या को अपना जीवनस्तर सुधारने में समर्थ करें, उनकी मदद करने के लिए तथा अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद करें तो हमारे देश की 70% जनसंख्या को इसका फायदा मिल सकता है. ऐसी स्थिति में नाबार्ड जैसे संस्था के समक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.

हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा भविष्य भी रौशन हो. हर चीज हम पर निर्भर है. मुझे खुशी है कि यह संगठन प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों का खजाना है. जब दूसरी जगहों के हमारे सहकर्मी और मित्रगण एक संगठन के रूप में नाबार्ड के बारे में पूछते हैं तो मेरा सदैव एक ही जवाब रहता है कि मुझे ऐसे किसी संगठन में कार्य करने का मौका नहीं मिला जहाँ उत्कृष्ट क्षमता वाले व्यक्तियों की इतनी बड़ी तादाद जो सदैव शीघ्र और अनवरत सीख लेने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और इस ज्ञान का दैनिक कार्यों में अपनी क्षमता सुधारने में उपयोग करता है तथा इस प्रकार क्षमता के स्तर को और ऊपर ले जाता है. मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उससे संबंधित खतरों और जोखिमों की ओर ध्यान न दे तो वह उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है. प्रेरणा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकता है. मैंने सदैव प्रेरणा और सहयोग, मार्गदर्शन और सकारात्मक सुझावों में विश्वास किया है. तीव्र विकास, तीव्र परिणाम - ये सब तभी संभव हो सकता है जब पूरा संगठन एक टीम के रूप में बड़े खुले विचार विनिमय के साथ एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए मिलकर कार्य करें. हम सब की राय अलग-अलग हो सकती है किन्तु हमारे विचारों की यह भिन्नता हमें एक अच्छे विकल्प के बारे में सोचने का अवसर प्रदान कर सकती है और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं. सख्ती करने के लिए सख्त बनने में मैं विश्वास नहीं करता.

नाबार्ड के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं. एक संगठन के रूप में, हमारे अस्तित्व से जुड़ी चुनौती के बारे में हम सोच सकते हैं. आज की स्थिति में देश के करोड़ों गरीबों के लिए काम करने के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती, उनकी समृद्धि की तथा भविष्य में एक संगठन के रूप में हमारे अस्तित्व की चुनौतियाँ हैं. देश के करोड़ों गरीबों के लिए काम करने की चुनौती है, उनको समृद्ध

बनाने की चुनौती है तथा आज क्या हो रहा है और भविष्य में अस्तित्व को बचाये रखने के लिए क्या करने की जरूरत है, इसकी चुनौती है. इन सभी चुनौतियों पर हमें सोचने की जरूरत है. मैं निर्णयों को चार हिस्सों में रखता हूँ - कारोबार, विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण तथा सामान्य प्रशासन. अब विनियमन और पर्यवेक्षण जहाँ एक ओर कारोबार के साथ जुड़ गया है वहीं दूसरी ओर कारोबार विकास के साथ जुड़ गया है. कारोबार से जो अधिशेष सृजित होता है उससे आप विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं. किसी वित्तीय संस्थान पर, आप जितना सख्त नियंत्रण रख पाएंगे और एक विकास संगठन के रूप में उसे जिस तरह परिचालित करेंगे वही अंततः यह तय करेगा कि आप अपने कारोबार में कितने सफल रहे हैं. इन संगठनों की स्थिति से आपके कारोबार का सीधा संबंध रहता है. पर्यवेक्षण और विनियमन कारोबार से संबंधित है और कारोबार पूरे देश में बड़े पैमाने पर विकास को आगे ले जाने की योग्यता से संबंधित है. स्वामित्व से संबंधित कुछ मुद्दे हैं किन्तु इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है. मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा निर्णय लेने में सफल होंगे जिससे ग्रामीण जनता के विकास के लिए विशेष कर ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए अपना कार्य जारी रखने के अपने प्रयास में हमें मदद मिलेगी.

वर्ष दर वर्ष अपने परिचालन अधिशेष में बढ़ोतरी करने में हम सफल रहे हैं. हम अपनी निधियों का प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से करने में सक्षम रहे हैं और इसका पूरा श्रेय नाबार्ड की निधि प्रबंधन दल को जाता है. इस दल ने बहुत अद्भुत कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इससे भी बेहतर कार्य करके दिखाएँगे. अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ है और पीछे मुड़ कर आत्मचिंतन करने की जरूरत है और यह समय कम नहीं है. आप सबके सहयोग से हमने दैनंदिन कार्यों के अलावा कुछ पहलें की हैं जिससे नाबार्ड द्वारा शुरू की गई अनेक विकास संबंधी कार्य जारी रखे जा सकें तथा उसमें और कुछ बढ़ोतरी की जा सके. किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी आप सभी के साथ विकसित होने की प्रक्रिया में हूँ. हम सबको उसी दिशा में कार्य करने की जरूरत है. चंद्रयान ने श्री हरिकोटा से चल कर अपने कक्षा का विस्तार किया और फिर अपनी कक्षा को बदला ताकि चाँद तक पहुँचा जा सके. हमारा भी गंतव्य चाँद है किन्तु हम अभी भी पृथ्वी की कक्षा के आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं और उस कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे चाँद तक पहुँच जाएँ. मुझे वास्तव में इस बात की खुशी है कि अब हम उस रास्ते पर हैं. मुझे और खुशी होती यदि हमारी गति और तेज होती.

वर्ष के दौरान हमने जो कार्य शुरू किए हैं, वे सही रास्ते पर हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका कार्यान्वयन शीघ्र हो. वस्तुतः उनमें कम्प्यूटरीकरण एक है. मुझे आपके जैसा कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है क्योंकि कम्प्यूटर संबंधी सारा काम मेरा सचिव करता है इसलिए मुझे कम्प्यूटर पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपना निजी कार्य करने के लिए ही मैं कम्प्यूटर का उपयोग करता हूँ किन्तु एक बुद्धिजीवी और कम्प्यूटर प्रोफेशनल सोसायटी का अंग होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कम्प्यूटर के मामले में हमारे आसपास के लोग अगली कक्षा तक पहुँच चुके हैं और कम्प्यूटर ने उन्हें अधिक सक्षम बनाया है तथा अपना दैनंदिन कार्य करने में इससे उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है. एक विकास परक संस्था होने के नाते नाबार्ड को प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग संस्थानों के वर्ग में बहुत पहले शामिल हो जाना चाहिए था. किंतु हम इस मामले में पीछे हैं, हमें आगे बढ़कर उनके साथ होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि इससे हर क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की पूरी संभावना है, चाहे वह एफएडी हो, कृषि क्षेत्र हो अथवा अन्य कोई भी विभाग. इससे हमें अपनी भर्ती में होने वाले व्यय को भी कम करने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप इससे हमारी सकल परिचालनगत अधिशेष में वृद्धि हो जाएगी. इसलिए दूसरे वर्ष में यह हमारी प्राथमिकता होगी. मैं चाहता हूँ कि 30 जून तक कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए. हमारे द्वारा नियुक्त कन्सलटेंट (केपीएमजी) और हम सब मिलकर यह प्रयत्न करें कि यह 30 जून 2009 तक परिचालनगत स्थिति में आ जाएं क्योंकि इससे हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और हम तमाम अनावश्यक श्रम से बच जाएंगे. आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए वह एक बटन दबाकर प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए यह मेरा पहला लक्ष्य है. कम्प्यूटरीकरण के कई पहलू होते हैं जैसे कुछ कार्यों का केन्द्रीयकरण अथवा विभागों को आपस में जोड़ना अथवा किसी खास विभाग की कोई विशेष जरूरत. जब मैं यह सब कह रहा हूँ तो मेरे इस कथन में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं. इसलिए यह मेरी पहली प्राथमिकता है ताकि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में दैनन्दिन आधार पर क्षमता बढ़ सके.

नाबार्ड की रिपोजिशनिंग के संबंध में हमने बोर्ड के समक्ष एक पेपर प्रस्तुत किया है. उसमें मुख्य प्रश्न यह था कि "क्या नाबार्ड को उसी तरह से कार्य करते रहना चाहिए, जैसा वह पिछले 25 वर्षों से करता रहा है अथवा बदलते समय और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे कुछ अलग अथवा कुछ अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए. इस पेपर पर कार्य करने वाले दल ने वास्तव में बहुत मेहनत

की है. इसका परिणाम बढ़िया रहा, बोर्ड के सदस्यों ने इसकी बड़ी सराहना की और इच्छा व्यक्त की कि इसे एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाए, उन्होंने यह भी चाहा कि एक संगठन की पहचान की जाए जो नाबार्ड के साथ मिल कर इस दिशा में काम करे और संगठन की भावी रूपरेखा को सुस्पष्ट करने में सहयोग करे. यथा शीघ्र उसे हमें एक तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुँचाना चाहिए क्योंकि यह बहुत आवश्यक है. हमने एक कदम और आगे बढ़ कर कहा है कि आगे बढ़ने के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधा एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे दो प्रकार का संतोष प्राप्त होता है : (1) यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करता है (2) इससे पर्याप्त कारोबार अधिशेष सृजित होता है जिससे विकास संबंधी कार्य करने में मदद मिलती है. राज्य परियोजना विभाग ने इस दिशा में कुछ प्रगति हासिल की है. इस संबंध में हम आई.एल.एंड एफ.एस. के साथ बातचीत कर रहे हैं, बोर्ड ने एक प्रायोगिक परियोजना को अनुमोदित कर दिया है और शीघ्र ही हम आई.एल.एंड एफ.एस. के साथ एक करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं.

कई नवोन्मेषी विचार सामने आए हैं. उनमें एक विचार यह भी है कि नाबार्ड सीधे सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में उतरे और सिर्फ मददगार के रूप में काम न करे. इस क्षेत्र में हमारा जो अनुभव रहा है तथा हमारे पास जो विशेषज्ञता है, उसकी बदौलत हम एक ऐसी संस्था स्थापित कर सकते हैं जो सीधे सूक्ष्म वित्त प्रदान करने का कार्य करे. इसके लिए बुनियादी कार्य पूरे हो चुके हैं. सूक्ष्म वित्त बिल के निष्कर्षों के आधार पर सब की राय ली जाएगी, अभी यह मामला संसद की स्थायी समिति के पास विचाराधीन है.

हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, किंतु उन सब प्राथमिकताओं में आरआईडीएफ का स्थान प्रथम है, सूक्ष्म वित्त गरीबी दूर करने के मामले में पहले स्थान पर है तथा वित्तीय समावेशन उन वंचितों तक पहुँचने का कार्य कर रहा है जो देश में औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के दायरे से बाहर रह गए हैं और ऐसा कर यह विभाग उनके अंधेरे जीवन में रोशनी फैलाने का काम कर रहा है. जब मैं संख्या की बात करूँ, जैसा कि मैंने रशिया में बोलते समय किया, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जैसे एक वक्ता (एक महिला) ने कहा कि "ओह, भारत में जब सूक्ष्म वित्त की बात होती है तो वह सिर्फ मिलियन में ही की जाती है और वहाँ नाबार्ड बहुत ही जबरदस्त कार्य कर रहा है. 58 मिलियन परिवार उससे लाभान्वित हुए हैं". समेकित रूप से तो यह संख्या बड़ी प्रभावशाली लग रही है, परन्तु हमें यह देखने की जरूरत है कि इनमें से कितने लोग इस प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ रहे हैं. प्रथम

चक्र, द्वितीय चक्र, सातवाँ चक्र और वे अभी भी इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं और समूह की प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के लाभार्थी बने हुए हैं. जब उन्हें वैयक्तिक ऋण देने के लिए बैंक के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, तभी वास्तविक रूप में यह कार्यक्रम सफल होगा. कल मैंने अखबार में पढ़ा कि बैंक बड़े ऋण नहीं दे रहे हैं; वे स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. किंतु मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे उस दिन खुशी मिलेगी जब स्वयं सहायता समूह का कोई भी उधारकर्ता खुद बैंक में जाए और उसे ऋण मिल जाए. हमने इस बारे में अध्ययन नहीं किया है कि कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को छोड़ा है, हम सदैव समेकित आँकड़ों की ही बात करते हैं जैसे 22000 करोड़ रुपये, 58 मिलियन परिवार आदि. स्तर दो, स्तर तीन और स्तर चार की बात तो छोड़िए उनमें से कितने लोग पहले वाले स्तर पर कायम हैं. यदि मैं अपना पीठ थपथपाना चाहूँ तो ये आँकड़े पर्याप्त हैं किंतु यदि मैं आत्मचिंतन करूँ तो यह सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा कि क्या इन्हें मुख्य धारा में लाने में मैं सफल रहा हूँ और यह विचार भी मन में आया कि इस संबंध में बहुत कुछ करने की जरूरत है. दूसरी बात यह है कि अपने पास पेशा आधारित दल होना चाहिए, जैसे मत्स्यपालन क्लस्टर, कारीगर क्लस्टर, कृषक क्लस्टर आदि. मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रायोगिक परियोजना जल्दी तैयार हो जाए और अगले वर्ष सभी राज्यों में पर्याप्त योजनाएं तैयार हो जाएं जिससे हम भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संस्थाओं को यह विश्वास दिला सकें कि स्वयं सहायता समूहों का उपयोग सिर्फ असहाय, भूमिहीन, गरीब और अति गरीब लोग ही नहीं बल्कि इसका उपयोग लघु और सीमांत किसानों को वित्तपोषण देने की एक प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है जो अंततः देश को खाद्य सुरक्षा देने में मदद करेंगे. अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए. जैसा कि मैंने पहले कहा है, सूक्ष्म वित्त में तीन चीजें हैं पहली, सहायक संस्था की स्थापना के मामले को आगे बढ़ाना, दूसरी, कार्यकलाप आधारित समूह और तीसरी, जो बीच में ही छूट गए हैं, उन्हें कैसे इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए. मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त था जब सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र का हम नेतृत्व करते थे किंतु अब ऐसा लग रहा है जैसे वह अवसर हमारे हाथ से बाहर जा रहा है. हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि लोग हमें नेतृत्व की भूमिका में देखते रहें. ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिनके पास आधे इरादे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और हमें जहाँ भी लाभकारी विकल्प उपलब्ध दिखाई दें, हम उन सभी को एक छत्री के नीचे ले आएँ और एक लीडर की सही भूमिका निभाएँ.

आइए, अब हम विकास की बात करते हैं. अपनी शब्दावली में हम विकास के बारे में जो समझते हैं, वह कृषि एवं गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए. कृषि क्षेत्र में दो ऐसे अच्छे मॉडल्स हैं जो प्रायोगिक तौर पर सफल रहे हैं और निरंतर आगे भी बढ़ रहे हैं, ये हैं वाटरशेड विकास और आदिवासी विकास जिसे हम "वाडी मॉडल" के नाम से जानते हैं. जब इस बारे में मैं क्षेत्रीय कार्यालयों के लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि यह मॉडल सब जगह बड़ी सफलतापूर्वक चल रहे हैं. वाटरशेड विकास लंबी अवधि वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके लिए धैर्य से काम लेना होगा. मैं यह जानता हूँ किंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि सिर्फ धैर्य ही नहीं बल्कि बहुत ही धैर्य की जरूरत होती है. अब मैं बहुत शब्द को छोड़ देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि वाटरशेड विकास की सफलता का रहस्य धैर्य ही है. यह सफलता सभी हितधारकों और सहभागियों की है और विशेषकर वे सहभागी जो वहाँ रहते हैं. हम न सिर्फ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे बल्कि इसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार भी लाएंगे - इस प्रयोजन हेतु हम अच्छे गैर-सरकारी संगठनों की तलाश करेंगे. इस प्रक्रिया में हमें भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को भी शामिल करना चाहिए. वाटरशेड विकास पर अपने कार्यक्रम के लिए सरकारी गजट की ड्राफ्टिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने हमसे सामग्री प्रदान करने का अनुरोध किया था. हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि नाबार्ड को एक कार्यान्वयन पार्टनर बनाया जाए. आदिवासी विकास के बारे में भी यही रणनीति अपनाई जानी चाहिए.

दूसरा क्षेत्र सहकारिता है जिसके बारे में मुझे बहुत चिंता है. मैं महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटी के तौर पर कार्य कर चुका हूँ, इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को भली भाँति जानता हूँ. इस बारे में मेरे खट्टे-मीठे अनुभव हैं, कुछ सहकारी संस्थाओं के परिणाम वाणिज्य बैंकों की तुलना में आश्चर्यजनक रहे हैं और कुछ के बहुत ही निराशाजनक. एक वक्तव्य अक्सर सुनने में आता है कि "सहकारी संस्थाएं असफल हो चुकी हैं किंतु सहकारिता की भावना सफल होनी चाहिए". अब हमें यह कहना चाहिए कि "सहकारी संस्थाएं खत्म हो रही हैं किन्तु उन्हें खत्म नहीं होने देना है". हमारे देश में 6 लाख गाँव हैं जिनमें (100 हजार) एक लाख सहकारी समितियाँ कार्य कर रही हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि छः गाँवों के पीछे एक पैक्स की सेवा उपलब्ध है. अपनी भलाई के लिए प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए दैनंदिन आधार पर हितधारकों को साथ लेने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता और आधार स्तर पर "पैक्स" ही ऐसा लाभकारी संगठन हो सकता है. अतः उन्हें पुनर्जीवित करने,

विकसित करने की जरूरत है इसीलिए हमने कुछ विकल्पों के बारे में सुझाव दिया था जैसे कि इन्हें जमाराशियां, आदि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाय. इस ढाँचे का विकास हो, इसलिए रु.15,000 करोड़ की इतनी बड़ी पूंजी राशि की सहायता प्रदान की जा रही है. इन संस्थाओं को वाणिज्यिक रूप से लाभकारी बनाने का लक्ष्य है और साथ ही साथ उन्हें इस स्थिति में लाना है कि वे छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतें पूरी कर सकें. इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाना इन संगठनों के व्यवसायिक प्रबंधन पर निर्भर करेगा. इस बारे में नाबार्ड की जिम्मेदारी है इसलिए मैंने इस प्रयोजन हेतु सहकारिता विकास निधि में कम से कम रु.50 करोड़ की राशि रखने के बारे में सुझाव दिया है. यह निधि शिक्षा में निवेश जैसा ही एक निवेश है और इसे" व्यय "के रूप में न देखा जाय.

समग्र प्रशासन के संबंध में मेरा पहला बिंदु यह है कि कोई कार्य कितनी तत्परता से किया जाता है. जो कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था, उसके बारे में यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक पूछताछ करने के लिए किसी क्षेत्रीय कार्यालय में फोन करें, तो कार्यालय प्रभारी के अंदर यह भाव जागृत होना चाहिए कि उसे अपना कार्य इस तरह से करना चाहिए था कि अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक को कार्य के बारे में स्मरण दिलाने की जरूरत न पड़ती. सरकारी क्षेत्र में यदि आयुक्त किसी कार्य के बारे में जिला कलेक्टर को फोन करना है तो जिला कलेक्टर की नींद उड़ जाती है. मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्रीय कार्यालयों को कई बार अनुस्मारक प्रेषित किए जाते हैं. मैं ऐसी प्रणाली शुरू करने के बारे में विचार कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किए जाने वाले अनुस्मारकों की संख्या का संग्रहण कम्प्यूटरों में किया जाय और वर्ष के अंत में क्षेत्रीय कार्यालयों से पूछा जाएगा कि सभी विभागों को मिलाकर उन्हें कितने अनुस्मारक प्राप्त हुए और जिस क्षेत्रीय कार्यालय को जितने अधिक अनुस्मारक प्रेषित किए गए होंगे उन्हें उनके वार्षिक मूल्यांकन में कम अंक प्रदान किए जाएंगे. प्रधान कार्यालय की भी समान जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ किसी मामले को निपटाने में शीघ्रता से काम लें.

"दस्तावेज संचलन अनुप्रवर्तन प्रणाली " आरंभ करना बहुत ही उपयोगी होगा जिसके द्वारा कोई भी फाइल शुरू से लेकर अंत तक एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक किस तरह ले जाई जाती है उसे संबंधित डेस्क का कार्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है और इस तरह फाइलों के निपटान में होने वाली देरी अपने आप समाप्त हो जाएगी. मैं समझता हूँ कि यह प्रणाली हम शीघ्र

ही स्थापित करने में सफल होंगे. मैं चाहता हूँ कि चालू वर्ष के लिए हमारा क्या लक्ष्य हो इस बारे में हम लोग साथ मिलकर सोचें कि हम कहां तक पहुंचे हैं और यहां तक पहुंचने में हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और हमने इनको कैसे पार किया है.

मैं चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष के दौरान अपने कार्यों के बारे में हमारी क्या सोच रही है वह दूसरे वर्ष कार्यों के रूप में दिखाई पड़े. यह तभी संभव हो सकता है यदि आप सब लोग मिलकर उसी तरह से अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करें जैसा पिछले समय से आप सब करते आए हैं. संगठन को सर्वोपरि मानते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने में हमने सदैव विश्वास किया है. इसलिए मैं एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले वर्ष मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया और अगले वर्ष भी आप हमें ऐसा ही सहयोग प्रदान करते रहेंगे और आप लोगों के सहयोग से हम अपने कार्यों को और तेजी से कर पाने में सफल होंगे.

धन्यवाद

प्रबंध निदेशक का संदेश

माननीय अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक गण और प्रिय सहकर्मियों

पिछले एक वर्ष के दौरान क्या किया गया और भविष्य के लिए क्या निर्देश हैं इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही विस्तृत समीक्षा की है. प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हम सभी को मिलकर यह देखने की जरूरत है कि हम कैसे अपना लक्ष्य हासिल करें. हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करते रहे हैं और कहाँ सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत है.

“रिपोजिशनिंग ऑफ नाबार्ड” बाहर से नहीं, बल्कि यह अंदर से ही हो सकती है. हमें प्रणालीबद्ध तरीके से रिपोजिशनिंग की कवायद करनी चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग को नए सिरे से व्यवस्थित करना चाहिए विशेषकर तेजी से हो रहे कम्प्यूटरीकरण के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो गया है. मुझे उम्मीद है कि इस बारे में हम बहुत अच्छा कार्य करने में सक्षम होंगे. हमें कम्प्यूटरीकरण के उस स्तर तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए जहाँ आज अन्य संगठन, बैंक और

वित्तीय संस्थान पहुँच चुके हैं. कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप सब से अनुरोध है कि आप लोग इसके बारे में सोचें क्योंकि जिन क्षेत्रों में हम बहुत मजबूत हैं और जहाँ हमें और मजबूत बनने की जरूरत है उनके बारे में अध्यक्ष महोदय ने बहुत साफगोई से कहा है. मैं चाहता हूँ कि सभी विभाग कुछ आत्ममंथन तथा विश्लेषण करें और इसका आकलन करें कि हम कहाँ खड़े हैं. जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है.

हमारे सामने कई आंतरिक चुनौतियाँ हैं. उनमें पहली है लाभप्रदता को बनाए रखना. आज नाबार्ड वह नहीं है जो पच्चीस वर्ष पहले था. वित्तपोषण संस्था से विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) का सफर लंबा रहा है. अब हमें बाजार से निधियाँ उठानी हैं. हमें लाभ अर्जित करने की जरूरत है क्योंकि जब तक आप लाभ अर्जित नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा. आज स्थितियाँ भी कुछ अलग हैं क्योंकि पहले जो सहायता मौजूद थी, वह अब नहीं है. अब हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, हमें यह करना ही होगा. अपने संसाधन प्रबंधन तथा निधि प्रबंधन दल की मैं तारीफ करता हूँ. उन्होंने नाबार्ड को मजबूत बनाने में मदद की है. हमें इस बात का गर्व है कि एक स्वतंत्र प्रकाशित रेटिंग के अनुसार हमारा स्थान देश की अग्रणी 100 अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की सूची में दर्ज है. इस सूची में हम 86 वें स्थान पर हैं, हमें और ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए. हम यह कर सकते हैं, बशर्ते हममें यह करने की इच्छा होनी चाहिए.

यदि वास्तव में हम विकास की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहते हैं, तो कम लागत वाली निधियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. आर्थिक अनुदान (सबवेंशन) अच्छा जरिया है किंतु यह स्थायी नहीं है. पूरे विश्व में नाबार्ड कुछ सफल विकास वित्तीय संस्थाओं में से एक है. नाबार्ड सदैव लाभ में रहा है और लाभ में बना रहेगा यदि हम निरंतर कम लागत वाले संसाधनों की तलाश और उसे प्राप्त करना जारी रखें.

हमारी दूसरी चुनौती उम्र की प्रोफाइल है. हमारा संगठन पुराना होता जा रहा है किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कार्य करने के लिए हम अपना उत्साह ही खो दें. हमें विभिन्न विकल्पों की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उम्र की पृष्ठभूमि के बावजूद हमारा उत्साह कायम रहे.

हाउसकीपिंग एक दूसरा चिंता का विषय है. निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहचान की गई गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और इन गलतियों को सुधारनी चाहिए. अपने कार्यों के प्रति असावधान रहने की बजाय हमें परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए. हम कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में देर नहीं कर सकते. कार्यों के पुनः प्रबंधन के माध्यम से हमें बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने की जरूरत है. हमें बेहतर और सरल तरीका अपनाना चाहिए जिससे इस कार्य हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के पी.एम.जी. अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके. कृपया इसे गंभीरता से लें और इसे अफसरशाही के मानदण्डों अथवा अस्थायी जरूरत के तौर पर न किया जाए.

और अब टीम वर्क की बात. अध्यक्ष महोदय ने टीम वर्क की जरूरत को भी इंगित किया है. वैयक्तिक और विभक्त तरीके से कार्य करने की बजाय बेहतर टीम वर्क से ही हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. चाहे प्रधान कार्यालय का कोई विभाग हो अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, टीम वर्क आवश्यक है. मेरा मानना है कि ये प्रमुख आंतरिक चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान आवश्यक है.

बाहरी चुनौतियों में, मजबूत ग्राहक संस्थाएं हमारी महत्वपूर्ण जरूरत हैं. वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट I और II, क्षेत्रा बैंकों का पुनर्पूजीकरण आदि जैसे कार्य इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं. हम अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं किन्तु ग्राहक संस्थाओं को प्रौद्योगिकीय तौर पर मजबूत बनाने के लिए हमें और प्रयास करने की जरूरत है. अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने सहकारिता विकास निधि में रु.50 करोड़ का निवेश, विशेषकर सहकारी संस्थाओं के लिए किया है. सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रा बैंकों को बहुत कम लागत पर कोर बैंकिंग सोल्यूशन (महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य) की जरूरत है. इस आवश्यकता को पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा ये संस्थाएं बाजार की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते और वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते.

नाबाई के अस्तित्व का समग्र औचित्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ता और सुगम ऋण सुनिश्चित कराने पर आधारित है. वित्तीय समावेशन के मामले में हमें सदैव नवोन्मेष जारी रखने की जरूरत है जो कि दूसरी बाहरी चुनौती है. यह सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि एक अच्छा अवसर भी है. अगले 3-5 वर्षों के भीतर हमें इसे मुख्य कार्य के रूप में ले लेना चाहिए. वास्तव में हमारा मुख्य

कार्य छोटे और सीमांत किसानों, वंचित वर्गों और समाज के कमजोर तबकों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है.

अगला मुद्दा खाद्य सुरक्षा का है. खाद्य सुरक्षा का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है. फरवरी 2008 के पश्चात कई देशों में भोजन की कमी के चलते हिंसात्मक वारदातें हुई. मंदी के चलते तेल की कीमत घटने से यकीनन बाद में ऐसी घटनाओं में कमी हो गई. फिर से तेल की कीमत बढ़ कर 100 डालर /प्रति बैरल हो जाने की संभावना है. तब खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, खास कर गरीबों के मामले में. आज अखबारों में ऐसी खबरें हैं कि गेहूँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और स्टॉक रखने के लिए जगह की कमी है. किन्तु जब संकट का समय आता है तब गेहूँ उपलब्ध नहीं रहता है खासकर गरीबों को नहीं मिलता है. इस मुद्दे पर हमें गंभीरतापूर्वक कार्य करने की जरूरत है. प्राथमिकता के क्रम से मैं इन मुद्दों को खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के रूप में रखना चाहूँगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमें वर्तमान छिटपुट निवेशों से हट कर एक व्यापक और सुनियोजित रणनीति बनानी होगी :

गरीबी उन्मूलन दूसरी बड़ी समस्या है. प्राथमिकता के क्रम से मैं इन मुद्दों को खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के रूप में इंगित करना चाहूँगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमें वर्तमान छिटपुट निवेशों से हट कर एक व्यापक और सुनियोजित रणनीति बनानी होगी तभी हम सफल हो सकते हैं.

और अंत में विनियमन और पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा. यह ऐसा विषय है जिसे हम छोड़ नहीं सकते और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए. यह कार्य हमें शक्ति प्रदान करता है और यह हमारे बैंक का ऐसा कार्य है जिससे हम वित्तीय विश्लेषण सीखते हैं. कृपया विनियमन और पर्यवेक्षण को बैंक का व्यय मत समझे, यह बैंक के लिए देय नहीं, आस्ति के समान होती है, हमारे स्टाफ को वित्तीय विश्लेषण के बारे में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि तुलन पत्र की जांच कैसे की जाती है और उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है. यह एक ऐसा कार्य है (जिला विकास प्रबंधकों को छोड़कर) जिसके लिए हमारे स्टाफ को कार्य स्थल पर जाकर यह जानने का अवसर मिलता है कि कोई बैंक कैसे अपना कार्य करता है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हमें और मजबूत होने की जरूरत है, खासकर जब वैद्यनाथन समिति I और II के द्वारा

बैंक अधिक बड़े तथा सुदृढ़ हो रहे हैं एवं ऋण माफी योजनाओं के लिए बहुत बड़ी राशियाँ जारी की जा रही हैं यदि संबंधित संस्थाएँ स्वयं अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी तो निधियों का बेहतर उपयोग कैसे हो सकेगा ? इसके लिए विनियमन की जरूरत है. यह कार्य बहुत आवश्यक है. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन के कार्य का जिम्मा हमारे हाथ में होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में इनका पर्यवेक्षण कोई और संस्था नहीं कर रही है.

विकास कार्यों के बारे में विभिन्न स्तरों पर ली जाने वाली कार्रवाई के संबंध में हमने एक नोट तैयार किया है. इस समय इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा किन्तु बाद में एक पेपर के रूप में आप सब के पास इसे परिचालित किया जाएगा. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उपेक्षित हैं. मेरा यह विचार है कि यदि हम अच्छी तरह से स्थिति का जायजा ले रहे हैं तो हमें उपेक्षित क्षेत्रों का विश्लेषण करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि नाबार्ड से गलती नहीं होती है. हमें यह देखने की जरूरत है कि हम कमजोर एवं उपेक्षित क्षेत्रों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने भाषण में अध्यक्ष महोदय ने भी आरंभ में स्वयं सहायता समूह के बारे में बात की थी. यद्यपि हमने स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने की प्रायोगिक परियोजना शुरू की और इसे बहुत सफल बनाया किन्तु नेतृत्व करने के बारे में हमने कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा. इस बारे में अध्यक्ष महोदय लगातार बात करते रहे हैं. नाबार्ड का स्थान बेजोड़ है किन्तु इसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं. हम बड़े गर्व से कहते थे कि हमारा वसूली का स्तर 98% तक है जो अब लगभग 88% रह गया है. यह अत्यंत चिंता का विषय है और कई संस्थाओं में यह स्तर 50-52% के निचले स्तर तक पहुँच गया है. क्षमता निर्माण के प्रयासों तथा बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का नियमित दौरा करने में कुछ कमी होगी. हमें चाहिए कि इन कमियों को दूर करने के लिए हम और ज्यादा सहयोगपूर्वक कार्य करें और घर कर रही आत्मंतुष्टता से प्रशिक्षण हमारे यहाँ एक नेमी चीज हो चुकी है. कृपया याद रहे कि वाणिज्य बैंकों में प्रत्येक दो-तीन वर्षों में ही स्थानांतरण हो जाता है. जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा आ जाता है तो स्वयं सहायता समूह का समचा चित्र बदल जाता है क्योंकि संभवतः उस शाखा प्रबंधक के पास सूक्ष्म वित्त के बारे में जानकारी न हो. दूसरा क्षेत्र जहाँ हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह स्वयं सहायता समूहों का संघ तथा किसानों का संघ है. ट्रान्सपोर्टेशन को एक साथ जोड़े और उत्पादों के संचयन एवं किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए किसान संघ की जरूरत खास तौर से आवश्यक है. प्रौद्योगिकी अंतरण पर्याप्त नहीं है. किसानों के लिए बढ़िया बाजार सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है. अतः, किसान संघों के माध्यम से किसानों को एमसीएक्स और एनसीडेक्स और अन्य क्मोडिटी एक्चेंजों से

जोड़ने के लिए हमें उनका नेतृत्व करना चाहिए. जल संसाधन के बारे में नाबार्ड का ध्यान घटता गया है. यदि आप हमारे पुनर्वित्त पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वह जल संसाधनों के लिए 5% से भी कम है. इसमें बहुत कमी आ गई है, मेरा मानना है कि यह अच्छी बात नहीं है. अधिकांश जगहों पर जल एक समस्या है. यदि हम इसकी लागत कम कर दें अथवा इसके लिए अच्छा पैकेज दे दें तो जल संसाधन क्षेत्र के विकास हेतु यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा.

हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे पशुपालन और मत्स्यपालन, ग्रामीण सेवा क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं जिसके बारे में चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने भी जिक्र किया था. हमें किसानों की आय बढ़ानी है. जिन दूसरे क्षेत्रों में ध्यान देने की तत्काल जरूरत है, वे हैं पेय जल और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई. हमें नवोन्मेषी ऋण उत्पादों की जरूरत है, ग्रामीण पेय जल के संबंध में हमारे पास कोई उत्पाद नहीं है. अभी भी यह आरआईडीएफ के स्तर पर है. हम उस मशक्कत के बोझ को दूर करने में सफल नहीं हो पाते हैं जिसका समूचा भार ग्रामीण महिलाओं के कंधों पर है. ग्रामीण आवासन, इको पर्यटन, पुनः नवीकरणीय उर्जा जैसे गोबर गैस संयंत्र आदि पर हमें ध्यान देने और सहायता प्रदान करने की जरूरत है.

हमें ग्रामीण ऋण वितरण के क्षेत्र में और नवोन्मेष करने की जरूरत है. हमारे पास और पैकेज होने चाहिए. निवेश ऋण विभाग में हमने वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रयास किया है और कल एक नया राज्य विशिष्ट पैकेज निर्मित करने के बारे में प्रयास किया था जोकि विशेषकर एक सेक्टर के लिए था. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम निजी और सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल विकसित करने का भी प्रयास कर रहे हैं. किंतु फसल ऋण के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की अत्यंत जरूरत है. क्या हम इसके लिए कोई नवोन्मेष कर सकते हैं? हमने संयुक्त देयता समूहों के विकास के लिए काफी प्रयत्न किए किंतु इस क्षेत्र में हमें सीमित सफलता मिली है. बुनकरों को भी अल्पावधि वित्त के अंतर्गत सहायता की अत्यंत जरूरत है.

ग्रामीण विकास के अंतर्गत हमने कई कार्य शुरू किए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी जिलों में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी) स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है. ऐसे संस्थानों की स्थापना बहुत कम संख्या में शुरू करना ही बुद्धिमानी होगी और जरूरत

के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है. जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है हमें ऐसे संस्थानों का निर्माण करना चाहिए और उन्हें प्रभावी और मजबूत करना चाहिए.

हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि नाबार्ड किन संकटों का सामना कर रहा है. इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा. मैं समझता हूँ कि इस संबंध में हमारे विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ओबामा ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं की सुरक्षा का अधिकार है; मेरा मानना है कि प्रत्येक संस्था को भी स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार है और हमें यह करना चाहिए. जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया है कि कैसे चंद्रयान ने दो अक्षों की खोज की और कैसे एक बड़े कक्षा से दूसरे छोटे कक्षा तक पहुंचने में कामयाब रहा. भारत का प्रौद्योगिकी में महारत प्राप्त करने का यह एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है. हमें अपना खुदका अक्ष निर्मित करना चाहिए. हमारे पास ऋण प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं रह गयी है इसलिए हमें वित्तीय रूप से और मजबूत होने की जरूरत है.

और अंत में नाबार्ड में औद्योगिक संबंधों और पैरिटी के मुद्दे पर कुछ शब्द. मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान आवश्यक है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक की पैरिटी हमारे लिए एक ऐसा बेंचमार्क था जो सबको स्वीकार्य था क्योंकि हमारा स्टाफ मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक से आया है. हम यह पैरिटी जारी रखना चाहेंगे क्योंकि यह एक बेंचमार्क है और यह कोई असाधारण सुविधा नहीं है बल्कि इससे हमारी औद्योगिक सौहार्द्रता को सुनिश्चित करने में मदद मिली है, ग्रामीण विकास के प्रयासों पर वास्तविक रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिली है. अन्य मामलों पर समय बर्बाद करने और आपस में लड़ने की बजाय गरीबी दूर करने के लिए हमें लड़ाई करनी चाहिए. गरीबी दूर करना एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि इस बारे में ग्रामीण भारत अपने नेतृत्व और दिशानिर्देश के लिए नाबार्ड की आस लगाए बैठा है.

धन्यवाद !!!!

नाबार्ड पुनर्वित्त पर ब्याज दरों में संशोधन

निवेश ऋण हेतु सभी पात्र प्रयोजनों के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर घटा कर वाणिज्य बैंकों के लिए 10.25% तथा राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, और कृषि विकास वित्तीय कंपनियों /एनईडीएफआई के लिए 9.25% प्रति वर्ष कर दी गई है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यह दर 9.75% प्रति वर्ष होगी.

पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वाणिज्य बैंकों के लिए सभी पात्र प्रयोजनों हेतु लागू ब्याज की दर 9.75% प्रतिवर्ष और सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कृषि विकास वित्त कंपनियों और एनईडीएफआई के लिए लागू ब्याज की दर 9.25% प्रति वर्ष होगी.

वाणिज्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उनके ग्राहकों को उधार देने के लिए प्रदान किए जाने वाले ऋणों से संबंधित पुनर्वित्त पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दर वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रभार की गई दर से 3% कम होगी जो 10.25% वार्षिक न्यूनतम ब्याज की शर्त पर होगी. इस प्रयोजन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर के लिए न्यूनतम ब्याज दर 9.75% वार्षिक रहेगी.

संशोधित ब्याज दर 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके पश्चात संवितरित किए जाने वाले पुनर्वित्त पर लागू होगी और नाबार्ड के साथ लंबित सभी आहरण आवेदनों पर लागू होगी.

इसके अलावा किसी भी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत मूलधन की चुकौती और ब्याज की अदायगी में चूक होने पर वाणिज्य बैंकों/ ग्राहकों को चूक की अवधि के लिए 1 जनवरी 2009 से नाबार्ड को चूक वाली राशि पर 12.25% वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा. सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, कृषि विकास वित्त कंपनियों और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के मामले में चूक करने पर यह दर 11.25% वार्षिक रहेगी. संशोधित ब्याज दर वर्तमान चूक और भविष्य में की जाने वाली चूक, यदि कोई हो के लिए लागू होगी और समय समय पर इस दर में परिवर्तन हो सकता है.

थोरात समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

थोरात समिति की शर्तों के अनुसार बैंक ने क्षेत्रीय बैंकों के लिए मानव संसाधन नीति पर स्पष्टीकरण दिया है कि

- शाखाओं के श्रेणीकरण के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान अधिसूचित शुक्रवार को औसत बकाया जमाराशियों और अग्रिमों के आधार पर गणना कर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार शाखाओं के कारोबार के आधार पर निश्चित किया जाए.

- ऐसे मामलों में जहां संशोधित मानदंड (थोरात समिति की संस्तुतियों के अनुसार) जारी होने से पूर्व वर्तमान मानदंडों के अनुसार पहले ही शाखा श्रेणीकरण / श्रम शक्ति का आकलन कर लिया गया हो और निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, क्षेत्र बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से अपने स्तर पर उपयुक्त निर्णय लें.

राबैं. आईडीडी.आरआरसीबीडी(स्टाफ) 2139/316 (पीआर) /2008-09 दिनांक 10.12.2008.

ग्रामीण आधारभूत सुविधा की फंडिंग के लिए आईएलएण्डएफएस के साथ करार ज्ञापन (एमओए)
बैंक के अधिकारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंस (आईएलएण्डएफएस) लिमिटेड के साथ 12 दिसंबर 2008 को एक करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है. यह करार ज्ञापन बैंक और आईएलएण्डएफएस को संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ हेतु विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आधारित और परियोजना आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी सहभागिता (पीपीपी) के फॉर्मेट विशिष्ट कार्यक्रम / परियोजना की पहचान करने में मदद मिलेगी. यह कारोबार व्यवस्था प्रणाली नाबार्ड के लिए अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित है किन्तु यह कारोबार व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों के लिए आरआईडीएफ एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) के अंतर्गत पहले से ही मौजूद व्यवस्था से बाहर है.

पृष्ठभूमि

गोवा में “रिपोजिशनिंग ऑफ नाबार्ड” पर जोरदार चर्चा के परिणाम स्वरूप एमओए की अवधारणा सामने आई. ग्रामीण भारत के लाभ के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की रूपरेखाओं को वित्तपोषित करने के लिए नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने संबंधित एक योजना निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. बोर्ड ने परामर्श दिया कि राज्य सरकारों आदि के लिए उपयुक्त अनुकूल उत्पाद हेतु वार्षिकी आधारित निधिपत्र, विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल परपज वेहीकल) जैसी प्रणाली तैयार करने के लिए बैंक आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों और पेशवरों के साथ सहयोग करे.

प्राथमिकता और महत्ता

योजना आयोग के अनुमान के मुताबिक 11 वीं योजना के दौरान ग्रामीण बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में रु.4,00,000 करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी. इस जरूरत के समक्ष समग्र योजना अवधि के लिए भारत निर्माण और आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटित राशियों को मिलाकर भी रु.175000 करोड़ की कमी रहेगी. इसके अनुसार 11 वीं योजना के दौरान प्रति वर्ष रु.35,000 करोड़ की कमी बनी रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधान मंत्री ने संकेत दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए अपेक्षित इतनी बड़ी निवेश राशि केवल बजटीय संसाधनों से नहीं मिल सकती. इसलिए नाबार्ड आरआईडीएफ के अलावा बुनियादी सुविधा निर्मित करने के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है.

बुनियादी सुविधा वाली परियोजनाओं की मंजूरी

गुड़गाँव में हाल ही में आयोजित हमारी 100वीं परियोजना मंजूरी बैठक में नाबार्ड ने 22 राज्य सरकारों के लिए रु.2622 करोड़ की राशि मंजूर की है. कुल मिलाकर 51 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई :

- कृषि / सिंचाई क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित 22 परियोजनाओं के लिए रु.1337 करोड़ की ऋण राशि मंजूर करने के संबंध में.
- रु.1596 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर करने के लिए सड़क और पुलों से संबंधित 15 प्रस्ताव.
- रु.689 करोड़ की ऋण सहायता वाली सामाजिक क्षेत्र की बुनियादी निर्माण से संबंधित 14 परियोजनाएँ.

रु.3,622 करोड़ वाली इन मंजूर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से परियोजना अवधि के दौरान 14.5 लाख कार्य दिवस का रोजगार भी पैदा होगा.

इससे आरआईडीएफ I से XIV के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 3.6 लाख परियोजनाओं के साथ रु.85663 करोड़ की राशि मंजूर की जा चुकी है. राज्य सरकारों ने अब तक रु.50031 करोड़ का ही उपयोग किए हैं. इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इससे 141 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता का सृजन एवं बढ़त तथा 2.6 लाख कि.मी. सड़क का सुधार हो जाएगा.

नाबार्ड में आरआईडीएफ की स्थापना रु.2000 करोड़ के कार्पस के साथ 1995-96 में की गई थी. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है यदि वह निर्धारित लक्ष्यों से कम रहता है तो उतनी राशि उन्हें आरआईडीएफ में प्रदान करनी होती है. ऐसी उम्मीद की जाती है कि अच्छी बुनियादी सुविधा से न सिर्फ कृषि ऋण की माँग बढ़ेगी बल्कि ऋण से उत्पादकता में वृद्धि होगी.

आरआईडीएफ I से XIV तक समेकित कुल कार्पस की राशि अब रु.98000 करोड़ हो गई है. इसमें से अब तक नाबार्ड ने राज्य सरकारों को कुल रु.86000 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के माध्यम से भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क) की परियोजनाओं के लिए रु.12000 करोड़ प्रदान किए हैं.

आरआईडीएफ की परियोजनाओं का मूल्यवर्धन करने और उसे यथार्थपरक बनाने के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की सम्यक और प्रणालीगत तरीके से उनका तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय और सांगठनिक पहलुओं का मूल्यांकन कराता है. नाबार्ड न सिर्फ पूरे वर्ष उनकी परियोजनाओं के लिए शीघ्र निधि प्रदान करता है बल्कि मंजूर की गई राशि की 20% राशि भी अग्रिम के तौर पर राज्य सरकारों को जारी कर देता है. निधियों के निर्विघ्न प्रवाह से परियोजनाएं समय पर पूरी हो गई तथा लागत में वृद्धि संबंधी मामले बहुत कम देखने में आए. अधिकांश परियोजनाएं 2-3 वर्षों में पूरी हो जाती हैं.

कार्यान्वयनकर्ता संस्थाओं का मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने के लिए नाबार्ड परियोजनाओं की निगरानी भी करता है. नाबार्ड के पास विशिष्ट अनुप्रवर्तन की अवधारणा पर आधारित अपनी एक प्रभावी निगरानी प्रक्रिया है. अपनी आंतरिक टीम और बाहरी एजेंसियों द्वारा चुनिंदा क्षेत्र वार मूल्यांकन और निगरानी का कार्य किया जाता है.

देश में कुल मिला कर 28 राज्य सरकारें नाबार्ड से लागत प्रभावी आरआईडीएफ ऋण प्राप्त कर चुकी हैं. कुल राज्य सरकारें 6.50% की ब्याज दर से नाबार्ड से आरआईडीएफ ऋण प्राप्त कर रही हैं. 2 वर्षों के ऋण स्थगन के साथ 7 वर्षों के भीतर इस ऋण की अदायगी की जा सकती है. आज तक जिन राज्यों ने अधिकतम मंजूरीयाँ प्राप्त किए हैं वे हैं आंध्र प्रदेश (रु.10403 करोड़), उत्तर प्रदेश(रु.7329 करोड़), गुजरात(रु.7291 करोड़), तमिलनाडु(रु.6407 करोड़) और मध्यप्रदेश (रु.6372 करोड़), राजस्थान (रु.5246 करोड़) और पश्चिम बंगाल (रु.9029 करोड़) आदि. कुल मंजूरीयों में दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा 28% है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों का हिस्सा मंजूरीयों का 4% है.

पिछले कुछ वर्षों के दौरान नाबार्ड ने जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है उनमें से कुछ प्रमुख हैं मध्य प्रदेश में बाणसागर वृहद् सिंचाई परियोजना, गुजरात में नर्मदा मुख्य नहर परियोजना निर्माण, राजस्थान / गुजरात / तमिलनाडु में ग्रामीण पेयजल परियोजना, पंजाब/बिहार में उच्च स्तर वाले पुल, आदि.

आरआईडीएफ पर कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कई मूल्यांकन अध्ययन संचालित किए गए हैं; हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरु ने आरआईडीएफ पर प्रक्रिया अध्ययन किया है और संस्थान का यह मानना है कि नाबार्ड ने इस संबंध में बहुत ही कार्यशील भूमिका निभाई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा प्रबंधन में अपनी समग्र क्षमता में बहुत ही सुधार किया है. भारतीय प्रबंधन संस्थान का यह भी मानना था कि संस्थागत और प्रक्रियागत क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नाबार्ड ने अपने आरआईडीएफ वित्तपोषण के माध्यम से सरकार, कार्यान्वयनकर्ता विभाग और परियोजना प्रबंधन टीमों के लिए अनुकरणीय लक्ष्य प्राप्त किए हैं.

नाबार्ड ने आरआईडीएफ के माध्यम से राज्य सरकारों को बहुत ही अधिक सहायता प्रदान की है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए सार्वजनिक निवेश को काफी आगे बढ़ाया है. कृषि विकास हेतु बुनियादी सुविधा निर्मित करने के लिए पूँजी के गिरते स्तर के लिए नाबार्ड ने आरआईडीएफ के द्वारा बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दर्शाए हैं :

नाबार्ड ने आरआईडीएफ XIV (2008-09) के अंतर्गत रु.18000 करोड़ मंजूर करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है तथा पूर्व की खेपों के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के संबंध में भी वर्ष 2008-09 के दौरान रु.18000 करोड़ संवितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन निवेश करने की जरूरत को स्वीकार करते हुए नाबार्ड अब आरआईडीएफ के दायरे से बाहर इस क्षेत्र के लिए नए वित्तीय उत्पाद तैयार करने की तैयारी कर रहा है.

**ग्रामीण भारत के लिए सतत बुनियादी सुविधाओं की फंडिंग
और वितरण हेतु नाबार्ड और आईएलएंडएफएस के बीच करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

श्री उमेश चंद्र सरंगी, अध्यक्ष और डॉ. के जी करमाकर, प्रबंध निदेशक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फाइनेंस लि.(आईएलएंडएफएस) के अध्यक्ष श्री रवि पार्थसारथी और प्रबंध निदेशक श्री हरिशंकरन के साथ 12 दिसम्बर 2008 के दिन नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई में औपचारिक रूप से एक करार इजापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर श्री एस.के.मित्रा और डॉ. प्रकाश बक्षी, कार्यपालक निदेशक, श्री बी एस शेखावत और श्री पी सतीश, मुख्य महाप्रबंधक और राज्य परियोजना विभाग और आईएलएंडएफएस के अधिकारीगण उपस्थित थे, इस करार इजापन से नाबार्ड और आईएलएंडएफएस को संयुक्त रूप से विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आधारित और परियोजना आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजना क्षेत्रों की पहचान करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) द्वारा संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. नाबार्ड के लिए कारोबार की यह व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों के लिए आरआईडीएफ और एनआरआरडीए के अंतर्गत पहले से उपलब्ध सुविधा के अलावा प्रस्तावित की गयी है.

“नाबार्ड की रिपोजिशनिंग” पर गोवा में एक विचारोत्तेजक चर्चा के दौरान ग्रामीण भारत के लाभ के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधा डिलीवरी प्रेम्सर्वक के वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएं शुरू करने के लिए बैंक द्वारा अपने निदेशक बोर्ड को एक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी. बोर्ड ने सूचित किया कि स्पेशल परपज वेहेकल (एसपीपी), एन्यूटी आधारित फंडिंग, विशिष्ट राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त कस्टमाइज्ड उत्पाद, आदि जैसी प्रणाली तैयार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले संगठनों तथा पेशेवरों के साथ सहयोग करने के बारे में विचार किया जाए एवं कुछ राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाए. बैंक द्वारा इस तरह की चर्चा की गई और इस चर्चा, फीड बैक और परामर्श के आधार पर बोर्ड ने अपनी नवम्बर 2008 में हुई बैठक में आरंभिक कदम के तौर पर इस करार इजापन को निष्पादित करने के लिए बैंक के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया था.

प्राथमिकता और प्रभाव

योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के दौरान ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए रु.4,00,000 करोड़ के निवेश की जरूरत का अनुमान लगाया गया है. इस जरूरत के समक्ष समग्र योजना अवधि में भारत निर्माण और आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटित निधियाँ एक साथ जोड़ने के पश्चात भी रु.175000 करोड़ की राशि कम पड़ रही है. इसका अर्थ यह हुआ कि 11वीं योजना के दौरान हर वर्ष रु.35000 करोड़ की निवल राशि की कमी. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समिति के अध्यक्ष के तौर पर,माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकेत दिया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितने बड़े निवेश की जरूरत पड़ती है उसे सिर्फ बजटीय संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता. इसलिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर

की फंडिंग और आरआईडीएफ के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नाबार्ड की वर्तमान सहायता की पहल राष्ट्रीय उद्देश्य और देश में शीर्ष विकास बैंक के तौर पर प्राप्त अधिदेश की भूमिका के रूप में है.

नाबार्ड से संपर्क के लिए हमारी वेबसाइट - www.nabard.org देखें

एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहेरा, डॉ. प्रकाश बक्षी और वी रामकृष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 के लिए के आर नायर द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा उनके द्वारा एलको प्रिन्टर्स, मुंबई द्वारा मुद्रित